

भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 179
उत्तर देने की तारीख 01 दिसंबर, 2025
10 अग्रहायण, 1947 (शक)
एम वाई भारत योजना

179. श्री बैजयंत पांडा :

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) एम वाई भारत प्लेटफॉर्म से जुड़ने वाले युवाओं की कुल संख्या कितनी है;
- (ख) क्या सरकार ने एम वाई भारत योजना को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए कोई रूपरेखा तैयार की है, और
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) 26 नवंबर, 2025 तक माई भारत पोर्टल (<https://mybharat.gov.in/>) पर पंजीकरण की कुल संख्या 2.05 करोड़ है।

(ख) और (ग) डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें माई भारत पोर्टल के माध्यम से देश भर के युवाओं के लिए डिजिटल पहुंच और मोबाइल-अनुकूल सेवाओं के लिए निम्नलिखित प्रमुख तत्व हैं:

- i. एंड्रॉयड और आईओएस के लिए पूरी तरह से काम करने वाला मोबाइल एप्लिकेशन;
- ii. एआई आधारित स्मार्ट सीवी बिल्डर और डिजिटल प्रोफाइल;
- iii. इवेंट के परिणामों का विश्लेषण करने के लिए इवेंट आयोजित करने वाले संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए एकीकृत डैशबोर्ड;
- iv. स्पीच टू टेक्स्ट, वॉइस असिस्टेड नेविगेशन और एआई चैटबॉट्स के उन्नत फीचर्स;
- v. आपके आसपास और किसी विशिष्ट क्षेत्र में अवसर खोजने के लिए लोकेशन इंटेलिजेंस और जियो-टैग;
- vi. युवाओं की भागीदारी के लिए लर्निंग मॉड्यूल और क्विज़;

- vii. आधार, डिजिलॉकर, भाषिणी और भारत सरकार के MyGov प्लेटफॉर्म इत्यादि, के साथ निर्बाध एकीकरण करना।
- viii. डिजिटल डिवाइड को दूर करने के लिए की गई प्रमुख पहलों में 22 भाषाओं में पोर्टल की उपलब्धता, मोबाइल एप्लिकेशन और अन्य सरकारी प्लेटफार्मों से इंटरैक्शन शामिल है।

इसके अलावा, माई भारत युवा कार्यक्रम विभाग के तहत एक स्वायत्त निकाय भी है, जिसे युवा विकास और राष्ट्र निर्माण के लिए एक व्यापक मंच के रूप में स्थापित किया गया है। माई भारत को और सुदृढ़ बनाने के लिए, सरकार ने निम्नलिखित पहलें शुरू की हैं :

- i. राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर माई भारत की संगठनात्मक संरचना को सुदृढ़ करना ताकि युवा सहभागिता गतिविधियों का प्रभावी क्रियान्वयन, समन्वय और निगरानी सुनिश्चित किया जा सके।
- ii. केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, उद्योग भागीदारों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग को सक्षम बनाना ताकि इंटरनेट, एक्सपीरिएंशियल लर्निंग, सामुदायिक सेवा और कौशल विकास के अवसरों को व्यापक किया जा सके।
- iii. एक्सपीरिएंशियल लर्निंग, सामुदायिक समावेशन, स्वयंसेवा के अवसर और राष्ट्र-निर्माण पहलों जैसे घटकों वाली एक स्पष्ट वार्षिक कार्य योजना के माध्यम से युवा सहभागिता के प्रमुख कार्यक्रमों को बढ़ाना ताकि व्यापक पहुंच और मापनीय प्रभाव सुनिश्चित किया जा सके।
- iv. प्रोग्राम डिलीवरी, नेतृत्व कौशल और समग्र क्षमता विकास में सुधार के लिए युवा स्वयंसेवकों, समन्वयकों और क्रियान्वयन एजेंसियों के लिए संरचित प्रशिक्षण मॉड्यूल पेश करना।
- v. लक्षित आउटरीच और डिजिटल सशक्तिकरण पहलों के माध्यम से ग्रामीण, जनजातीय और सामाजिक रूप से पिछड़े समूहों की भागीदारी सुनिश्चित करके समावेशिता बढ़ाने के प्रयास करना।
